



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट-महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट-www.sssc.uk.gov.in

mail: chayanavog@gmail.com

फोननं० 0135-2669658 फैक्स नं० 0135-2672902

पत्रांक-परीक्षा / 02 / 2024-25

दिनांक:-01 अप्रैल, 2024

विज्ञापित

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत वाहन चालक/ प्रवर्तन चालक/ डिस्पैच राइडर (पद कोड-715, 399, 154/37/2021) के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 12 जून, 2022 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई।

उक्तानुसार लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 12 मार्च, 2024 को प्रकाशित की गई।


तदनुसार औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में निम्नानुसार तालिका में इंगित तिथियों में किया जायेगा-

क्र० सं०	पद नाम	पद कोड	अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि		
			Category	Serial Number	सत्यापन तिथि
1.	वाहन चालक/प्रवर्तन चालक एवं डिस्पैच राइडर	715, 399, 154 / 37 / 2021,	GEN	1 से 60 तक	23 अप्रैल, 2024 (मंगलवार)
			GEN	61 से 120 तक	24 अप्रैल, 2024 (बुद्धवार)
			GEN	121 से 126 तक	25 अप्रैल, 2024 (बृहस्पतिवार)
			EWS	127 से 146 तक	
			OBC	147 से 180 तक	
			SC	181 से 230 तक	26 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार)
			ST	231 से 242 तक	

अतः औपबन्धिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :-

- जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित, जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गये, की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ (अलग-अलग) व 06 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- ध्यान दें कि अभ्यर्थियों के लिए पदानुसार अपने शैक्षिक अर्हता व अन्य आवश्यक आर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख, प्रमाण पत्र, लाइसेन्स (विज्ञापन के अनुसार) आदि के साथ ही आरक्षण एवं स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है।
- आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में एवं उसकी छाया प्रति लाना अनिवार्य है।
- आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या-79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट) एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेशपत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों को डाउन लोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो-दोप्रतियों (अलग-अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।

6. अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हों तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 07 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।
7. यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिनका समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
8. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण लाना निषिद्ध है।


(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव